रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 6, 2005/वैशाख 16, 1927

No. 462] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 6, 2005/VAISHAKHA 16, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2005

का.आ. 644(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत में ऐसे कतिपय नाशकजीवमारों के, वर्तमान में उपयोग पर पुनर्विलोकन करने के लिए और उनके सतत उपयोग पर या अन्यथा विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करने और कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि मॉनोक्राटोफॉस की विनिर्मिति का शाक-सब्जियों पर उपयोग मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए परिसंकटमय है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात् :-

आदेश

1. (1) शाक-सब्जियों पर मॉनोक्राटोफॉस के उपयोग पर अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही पाबंदी होगी ।

(2) मॉनोक्राटोफॉस के लिए अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से, जिसके अंतर्गत लेबलों और पत्रकों पर "शाक-सब्जियों पर उपयोग पर पाबंदी" स्पष्ट अक्षरों में चेतावनी की अपेक्षा को सम्मिलित करने के लिए नए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भी है, वापस मांगे जाएंगे ।

(3) उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को इस आदेश के अनुसार अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होने के छह मास की अवधि के भीतर, वापस नहीं करते हैं तो, कीटनाशी अधिनियम की धारा 13 के अधीन स्वीकृत उनकी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा या उस अधिनियम धारा 14 के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

2. राज्य सरकारें, अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में, ऐसे सभी उपाय करेंगी, जिन्हें वे, कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन विरचित नियमों के अनुसार, इस आदेश को लागू करने के लिए ठीक समझे ।

3. प्रारूप आदेश को, जो केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से, जिसको इस आदेश की भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा .

4. उक्त प्रारूप आदेश के संबंध में, कोई व्यक्ति, किसी सुझाव या आक्षेप करने की वांछा करता है तो उनको इसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को भेजा जा सकेगा ।

[फा. सं. 17-28/94-पीपी-I]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2005

S.O. 644(E).—Whereas the Central Government had set up an Expert Group to undertake review of certain pesticides in use at present and to consider their continued use or otherwise in India;

And whereas the Central Government, after considering the recommendations of the said Expert Group and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) is satisfied that the use of formulations of Monocrotophos on vegetables involves health hazards to human beings;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby proposes to make the following Order, namely :-

ORDER

1. (1) The use of Monocrotophos on vegetables shall be banned on and from the date of publication of the final notification.

(2) The certificates of registration granted for Monocrotophos shall be called back by the Registration Committee from all registrants including new registrants for incorporation of the requirement of the warning in bold letters **"BANNED FOR USE ON VEGETABLES"** on labels and leaflets.

(3) In respect of those registrants who do not return the registration certificate, as per this Order within a period of six months w.e.f. the date of publication of final notification, their license granted under section 13 of the Insecticides Act shall not be renewed or action under section 14 of the Act will be taken.

2. The State Government shall take all such steps in their respective jurisdiction as it may deem fit for carrying out this Order as per the Insecticides Act, 1968 and the rules framed thereunder.

3. The draft Order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft Order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public.

4. Any person desirous of making any suggestion or objection in respect of the said draft Order may forward the same for consideration of the Central Government within the period so specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi.

[F. No. 17-28/94-PP-I]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.